भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2400

(शुक्रवार, 9 मार्च, 2018/18 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया गया)

महिलाओं की भागीदारी

2400. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू कंपनियां महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में असफल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का घरेलू कंपनियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक किए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 149 और इसके साथ पठित सदृश नियमों के अधीन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और निर्धारित श्रेणी की कंपनी के लिए कम से कम एक महिला निदेशक नियुक्त करना अपेक्षित है। इस अधिनियम की धारा 172 में किसी कंपनी द्वारा महिला निदेशक नियुक्त न करने के लिए दंड का प्रावधान है। 21.12.2017 तक कंपनी रजिस्ट्रारों ने अनुपालन न करने वाली 202 पब्लिक असूचीबद्ध कंपनी के विरूद्ध अभियोजन दायर किए हैं।

आर्थिक कार्य विभाग के अधीन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियमन, 2015 के अधीन सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य किया है। 31.12.2017 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 1728 सक्रिय कंपनियों में से 1664 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 4107 सक्रिय कंपनियों में से 3945 कंपनियों ने महिला निदेशक नियुक्त किए हैं।

*****